// * प्रेस--नोट * //

दिनांक 26/12/2010

क्राईम ब्रांच की कार्यवाही
उठाईगिरी के अपराधी गिरफ्त में
दो आरोपियों से घटना में इस्तेमाल अपाची मो0 सायकल सहित 1,50,000/— रू0 बरामद
6 उठाईगिरी के मामले सुलझे

दिनॉक 29/11/2010 को पंजाब नेशनल बैंक दुर्ग के पास मनोज झा की डिग्गी से 100,000/— रू0 की उठाईगिरी दिनॉक 13/11/2010 को प्रार्थी आशीष जोशी के वैगन आर कार से 600,000 /— रू0 की उठाई गिरी, कुम्हारी स्टेशन चौक से प्रार्थी दीपक साहू के बैग सहित 72,460/— रू0 की उठाईगिरी, दिनॉक 10/11/2010 को सुपेला बस स्टैण्ड में स्कूटी के डिग्गी से 25000/— रू0 की उठाईगिरी व भिलाई नगर सेक्टर 6 ए मार्केट दुकान से 25000/— रू0 की उठाई गिरी की घटना घटित हुई थी। साथ ही भिलाई के सेक्टर इलाके में चेन स्नेचिंग की कई घटना हुई थी अपराधियों की पतासाजी हेतु पुलिस अधीक्षक, दुर्ग श्री अमित कुमार (भा0पु0से0) द्वारा क्राईम ब्रांच को निर्देशित किया गया था। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन एवं अति0 पुलिस अधीक्षक श्री एम0एल0 कोटवानी के मार्गदर्शन में आरोपियों की पतासाजी हेतु क्राईम ब्रांच प्रभारी निरी0 एस0पी0 तिवारी एवं टीम द्वारा बस स्टैण्ड एवं रेल्वे स्टेशन की चेकिंग के दौरान भिलाई नगर रेल्वे स्टेशन के पास संदिग्ध अवस्था में दो लोग मिले जिनसे पूछताछ करने पर उन्होनें अपना नाम—पता गलत बताया, सख्ती करने पर उन्होनें अपना नाम 1. कविता पति देवा 2. चल्ला राजू आ0 चल्ला इरम्मैया निवासी कपरालटिप्पा थाना बिट्रागुण्डा जिला नेल्लोर आंध्रप्रदेश का रहने वाला बताया जिनसे पूछताछ की गई तो दुर्ग , जामुल , कुम्हारी , सुपेला , भिलाई नगर क्षेत्र में 06 उठाईगिरी एवं सेक्टर 5 में चेन स्नेचिंग की वरदातों को इनके एवं इनके गिरोह के सदस्यों द्वारा किया जाना स्वीकार किया गया। इनसे नगद 1,50,000/— रू0 मोटर सायकल टी0वी0एस0 अपाचे एमएच 30 X 1542 जप्त किया जाकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। घटना में शामिल एक अन्य आरोपिया प्रमिला की पूर्व में गिरफ्तारी की जा चुकी है। आरोपियों से पूछताछ पर खुलासा हुआ कि कपरालटिप्पा, जिला—नेल्लोर आंध्रप्रदेश में इस जरायम पेशा

के करीब 500–600 घर हैं ये भारत के विभिन्न स्थानों में घूम–घूम कर उठाईगिरी एवं चेन स्नेचिंग का अपराध करते है। आरोपीगण लक्जरी अपाची , सीबीजेड जैसी मो0 सायकल रखते हैं व बड़ी सफाई से उठाईगिरी की वारदातों को अंजाम देते है।

इस गिरोह का सरगना कविता का पति देवा है, जिसके साथ 10–12 पुरूषों एवं महिलाओं का गिरोह है, यह गिरोह विगत तीन माह से कुम्हारी , चरोदा के आस–पास किराये का मकान लेकर रूके थे तथा 15 दिन , एक माह में अपना ठिकाना बदल देते थे। विगत दो–तीन माह में दुर्ग–भिलाई एवं रायपुर में जितनी भी उठाईगिरी की घटना घटित हुई हैं वे सभी घटना इसी गिरोह के द्वारा अंजाम दिया गया है। गिरोह में शामिल शेष आरोपीगण की गिरफ्तारी एवं माल बरामदगी हेतु आंध्रप्रदेश पुलिस पार्टी भेजी जा रही है। जिनसे उठाईगिरी एवं चेन स्नेचिंग के कई मामलों का खुलासा होने की संभावना है।

प्रकरण में आरोपियों की गिरफ्तारी में सहा0 उप निरी0 प्रमोद रूसिया, जे0एल0 साहू, प्र0आर0 चंद्रशेखर सोनी, अशोक, सुरेश, आर0 जगजीत, परमजीत, रम्मैया, एवं दुर्गेश कुमार का सराहनीय योगदान रहा।

— —